

प्रश्नक

साथ

प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष/साथ

रामलाल शानवती ट्रेस्ट, पहाड़पुर, खलगाव, महामंदीबाद, सीतापुर।
स्था का नाम- हजारीलाल कालेज आफ फार्मसी, पहाड़पुर, सीतापुर।

पत्रांक:-प्राधिप/परिषद/2022/7387

लखनऊ:दिनांक- 08-08-2022

विषय:- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान की अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पीओसीआई) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/12561-63 Online Application for 2022-23(DS), Online Application for 2022-23(A5) दिनांक 04-08-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूचना है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को "उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम-1962 (प्रथमसंशोधित) 1974" की धारा-12(1) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पीओसीआई से प्रथमतः संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनीयता हेतु संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पीओसीआई), नई दिल्ली के संदर्भ संख्या 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/12561-63 Online Application for 2022-23(DS), Online Application for 2022-23(A5) दिनांक 04-08-2022 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत संस्थान में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी सन्धि के आधार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त करायी जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं करायी गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त संस्था निर्गत सहमति/अनापत्ति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्त संस्था वर्तित शर्तों को पूर्णतः मानने पर ही मान्य होगा। साथ ही पीओसीआई एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निर्देश एवं अधिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर करया जाएगा। पीओसीआई/परिषद के मानकों के कम में दिये गये अधिलेखीय के सत्यापन की प्रक्रिया होने पर अनापत्ति तकाल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनाय एवं कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

पृ0सं0- प्राधिप/परिषद/2022/7388-89

दिनांक- 08-08-2022

महोदय,
(फार्मसी) साथ
साथ

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उओपी, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्बोडेन्स काउन्सिल बिल्डिंग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, एवान-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

(फार्मसी) साथ